

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर॥

:: दिनांक 27.10.2021 को सम्पन्न हुई खुला बंदी शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की पालना में राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 27.10.2021 को महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री आलोक वशिष्ठ, सदस्य
कार्यवाहक अति. महानिदेशक कारागार
राजस्थान, जयपुर।
2. श्री विक्रम सिंह, सदस्य
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमती मोनिका अग्रवाल, सदस्य सचिव
उप महानिरीक्षक कारागार
रेंज, जयपुर।
4. श्री रमेश कुमार दहमीवाल, सदस्य
सहायक निदेशक (परिवीक्षा)
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

निम्न 05 बंदियों के खुला बंदी शिविर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये :-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक
मोहम्मद एजाज अकबर पुत्र अब्दुल मजीद कमलापुरकर उर्फ अब्दुला	के.का. जयपुर	647/2020	30.09.2021
मेहरबान पुत्र रामलाल	के.का. कोटा	1482/2021	21.09.2021

हिम्मत मीणा पुत्र बंदी नारायण	वि.के.का. श्यालावास (दौसा)	1481/2021	21.09.2021
रामेश्वरी उर्फ बीबा पत्नी संतोष कुमार	म.बं.सु.गृ. जोधपुर	464/2021	14.09.2021
सुमन देवी पत्नी स्व. रामचन्द्र	म.बं.सु.गृ. जयपुर	1408/2021	15.09.2021

अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

1. मोहम्मद एजाज अकबर पुत्र मोहम्मद अब्दुल मजीद कमलापुरकर उर्फ अब्दुल्ला, केन्द्रीय कारगृह, जयपुर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 23 वर्ष 07 माह 03 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में बंदी के प्रकरण पर विचार किया गया। बंदी को दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा अंतर्गत धारा 120-B I.P.C., Sec. 3(2)(1) Tada Act r/w Sec 120B IPC., Sec. 3(2)(ii) TADA ACT r/w sec. 120B IPC, sec 3(3) 5, 6 (1) TADA ACT, 302 IPC r/w sec. 120B IPC, sec. 307 I.P.C. r/w sec. 120B IPC, sec 326 r/w sec. 120B IPC, sec. 324 IPC, r/w sec. 120B IPC, sec. 436, r/w sec. 120B IPC Sec. 3 Explosive Substances Act. r/w Sec.120B IPC sec. 4 Explosive Substances Act. Sec. 9-B Explosive Substances Act. Sec.150 Railway Act R/w Sec. 120B IPC Sec. 151 Railway Act R/w Sec. 120-B IPC, Sec. 4 Prevention of Damage to Public Property Act. r/w Sec. 120-B IPC में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी विस्फोटक पदार्थ अधिनियम (टाडा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने के कारण राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ख) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवृत्ति नहीं की है। बंदी खुला शिविरों में अधिकांश समय बंदी स्वतंत्र रूप में रहता है जिससे बंदी के पुनः विस्फोटक विध्वंसकारी गतिविधियों में संलिप्त होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता और इसमें सम्मिलित होने पर जनहानि एवं राजकीय सम्पत्ति को नुकसान होने की पूर्ण संभावनाएं रहेगी।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी मोहम्मद एजाज अकबर पुत्र मोहम्मद अब्दुल मजीद कमलापुरकर उर्फ अब्दुल्ला को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

2. मेहरबान पुत्र रामलाल, केन्द्रीय कारागृह, कोटा

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 11 वर्ष 11 माह 06 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 16.04.2021 को आयोजित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक में बंदी के प्रकरण पर विचार कर " पूर्व में बंदी के खुला बंदी शिविर, बेलासर में निरुद्धीकरण के दौरान दिनांक 19.10.2020 को अन्य बंदी व परिजनों से गाली-गलौच व झगड़ा/मारपीट किये जाने से कदाचार के कारण एवं अधीक्षक जेल द्वारा बंदी का दिनांक 31.12.2020 को 05 दिवस परिहार जब्त करने के फलस्वरूप बंदी को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में बंदी के प्रकरण पर समिति द्वारा पुनः विचार किया गया। बंदी को दिनांक 19.10.2020 को अन्य बंदी व परिजनों से गाली-गलौच करने व झगड़ा एवं मारपीट करने पर प्रभारी शिविर द्वारा समझाने पर भी व्यवहार में किसी प्रकार का बदलाव न होने पर दिनांक 20.10.2020 को जेल दाखिल किया गया। अधीक्षक जेल द्वारा बंदी का दिनांक 31.12.2020 को 05 दिवस परिहार जब्त करने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया है। इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत जेलदण्ड तिथि (दिनांक 31.12.2020) से आगामी 02 वर्ष की अवधि तक साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी मेहरबान पुत्र रामलाल को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

3. हिम्मत मीणा पुत्र बद्री नारायण, वि.के.का. श्यालावास (दौसा)

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 06 माह 25 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी हिम्मत मीणा द्वारा मृतक सूरज व पीड़ित बालिका, जो नाबालिग थी को विवाह कराने का झांसा देकर छापराड़ी रोड़ पर बने जंगल में ले जाकर सहअभियुक्त के साथ मिलकर सूरज की चाकू व पत्थरों से चोट कारित कर हत्या कारित की व उसके बैग में रखे जेवरात लूट लिये और नाबालिग पीड़िता से उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किया, फिर उसे अन्य स्थान पर ले जाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध सहअभियुक्त के साथ मिलकर बलात्कार किया। जिसमें उसे 07 चोटों से ग्रसित किया, के फलस्वरूप दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख नहीं अपनाते

हुए अंतर्गत धारा 363, 364, 366ए, 376 (2) (जी), 394, 302/34, 201, 323, 341 आई.पी.सी. व 3/4, 5/6 पोक्सो एक्ट में दण्डित किया गया है।

बंदी को प्रतिबंधित धारा 376 (2) (जी) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास एवं धारा 394 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है तथा दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा बंदी को 3/4 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास व 5/6 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास से भी दण्डित किया गया है। बंदी की वर्तमान में आयु 30 वर्ष है और खुला बंदी शिविरों में बंदियों के परिजन भी निवास करते हैं जिनमें उनकी पत्नी और पुत्रियां भी रहती हैं। बंदी को खुला शिविर में भिजवाये जाने से उसके द्वारा पुनः ऐसी घटना कारित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः बंदी द्वारा कारित अपराध एवं उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी हिम्मत मीणा पुत्र बद्रीनारायण को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

4. रामेश्वरी उर्फ बीबा पत्नी संतोष कुमार, म.बं.सु.गृ. जोधपुर

महिला बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 06 वर्ष 07 माह 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी खुला शिविर हेतु कारागृहों से प्राप्त प्रकरणों की दिनांक 31.12.2020 की स्थिति में तैयार की गई वरियता सूची में महिला बंदी के उक्त तिथि को खुला बंदी शिविर हेतु निर्धारित पात्रता (06 वर्ष 08 माह) अर्जित नहीं होने के कारण महिला बंदी का नाम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं है तथा खुला बंदी शिविर हेतु लम्बित कुल 1016 प्रकरणों में वर्तमान में रिक्तियों के आधार पर क्रम संख्या 01 से 618 तक के खुला बंदी शिविर प्रकरणों का ही निस्तारण किया जा सका है।

उक्त के अतिरिक्त राजस्थान कैदी कारावास कालीन अवकाश नियम 1972 के नियम 6 (क) के अंतर्गत खुला बंदी शिविर में पात्र बंदियों को वरिष्ठता क्रम में भेजे जाने का प्रावधान है।

अतः बंदी के खुला बंदी शिविर प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया तथा वरियता में नहीं आने के कारण समिति द्वारा सर्वसम्मति से महिला बंदी रामेश्वरी उर्फ बीबा पत्नी संतोष कुमार को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार बंदी के

वरियता में आने पर खुला बंदी शिविर में भेजे जाने पर विचार किया जायेगा।

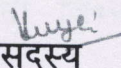
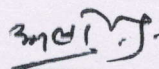
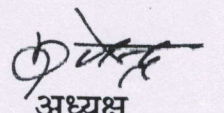
5. सुमन देवी पत्नी स्व. रामचन्द्र, महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 06 वर्ष 01 माह 23 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी खुला शिविर हेतु कारागृहों से प्राप्त प्रकरणों की दिनांक 31.12.2020 की स्थिति में तैयार की गई। वरियता सूची में बंदी के उक्त तिथि को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित होने से खुला बंदी शिविर हेतु निर्धारित पात्रता 06 वर्ष 08 माह अर्जित नहीं होने के कारण बंदी का नाम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं है परंतु आज की स्थिति में बंदी द्वारा 07 वर्ष 07 माह 24 दिवस की सजा भुगतने से पात्र है, किंतु वर्तमान में बंदी वरियता में नहीं है। खुला बंदी शिविर हेतु लम्बित कुल 1016 प्रकरणों में रिक्तियों के आधार पर क्रम संख्या 01 से 618 तक के खुला बंदी शिविर प्रकरणों का ही निस्तारण किया जा सका है।

उक्त के अतिरिक्त राजस्थान कैदी कारावास कालीन अवकाश नियम 1972 के नियम 6 (क) के अंतर्गत खुला बंदी शिविर में पात्र बंदियों को वरिष्ठता क्रम में भेजे जाने का प्रावधान है।

अतः माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में बंदी के खुला बंदी शिविर प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। समिति द्वारा सर्वसम्मति से महिला बंदी सुमन देवी पत्नी रामचन्द्र को वरियता में आने पर खुला बंदी शिविर में भेजे जाने पर विचार किये जाने का निर्णय लिया गया।

 सदस्य	 सदस्य सचिव	 सदस्य	 सदस्य	 अध्यक्ष
सहायक निदेशक (परिवीक्षा)	उप महानिरीक्षक	महानिरीक्षक कारागार	कार्यवाहक अति.	महानिदेशक एवं
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।	कारागार रेंज, जयपुर।	राजस्थान, जयपुर।	महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर।	महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।